

~ 1 ~

वाणिज्य कर अपील अधिकरण, उत्तराखण्ड, खण्डपीठ—देहरादून

उपस्थित : मलिक मजहर सुलतान, एच०जे०एस०.....अध्यक्ष,
विपिन चन्द्र.....सदस्य,

द्वितीय अपील संख्या: 27 / 2025 (वर्ष 2012-13) धारा 35(8)

कमिश्नर राज्य कर, उत्तराखण्ड।

बनाम

सर्वश्री कैलाश वाहन उद्योग लि०, पन्तनगर, रूद्रपुर।

अपीलार्थी की ओर से: श्रीमती हेमलता शुक्लाराज्य-प्रतिनिधि।

प्रत्यर्थी की ओर से : श्री पंकज तिवारी अधिवक्ता।

—: निर्णय :-

विपिन चन्द्र, सदस्य

यह द्वितीय अपील उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 53 के अन्तर्गत, आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड(जिसे आगे विभाग कहा जायेगा) ने संयुक्त आयुक्त (अपील) राज्य कर, हल्द्वानी (जिसे आगे 'प्रथम अपीलीय प्राधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा प्रथम अपील संख्या - 1346/2021 (वर्ष 2012-13 मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा-35(8)) में पारित किये गये निर्णय दिनांक 30-12-2024 के विरुद्ध इस अधिकरण में दिनांक 15-04-2025 को दायर की गई है। प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा व्यापारी की अपील स्वीकार करते हुए एवं अर्थदण्ड आदेश दिनांक 01-08-2019 अपास्त किया गया है। प्रस्तुत द्वितीय अपील में विवादित कर की धनराशि रू० 3,33,120/- निहित है।

2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि सर्वश्री कैलाश वाहन उद्योग लि०, पन्तनगर, रूद्रपुर (जिसे आगे व्यापारी कहा जाएगा) आटो पार्ट्स के निर्माण/बिक्री हेतु पंजीकृत हैं। व्यापारी द्वारा संगत वर्ष में अपनी फैक्ट्री में ठेकेदारों से कराये गये कार्यों के विरुद्ध रू० 2,72,54,618/- का भुगतान किया गया है, जिस पर रू० 20,13,814/- की टीडीएस कटौती कर राजकोष में जमा किया गया है। दाखिल विवरणों की जांच पर यह पाया गया कि अनुबन्ध संख्या 320Z01 के अन्तर्गत ठेकेदार फर्म सर्वश्री जैन इंटीरियर डेकोरेशन को दिनांक 31-03-2013 को भुगतान की गयी राशि पर टीडीएस के तौर पर कटौती की गयी राशि रू० 1,66,560/- को चालान संख्या 94 दिनांक 03-10-2013 द्वारा

05 माह 03 दिन के विलम्ब से जमा किया गया है। इस प्रकार व्यापारी के इस कृत्य के संबंध में व्यापारी को धारा 35(8) के अन्तर्गत अर्थदण्ड नोटिस प्रेषित किया गया। व्यापारी द्वारा अपने स्पष्टीकरण में कहा गया कि बिल भुगतान पर श्रोत पर कटौती रू0 1,66,560/- तीन दिन विलम्ब से जमा किया गया है, जबकि पत्रावली व चालान के अनुसार व्यापारी द्वारा 05 माह 03 दिन विलम्ब से उक्त राशि को जमा किया गया है। इसके अतिरिक्त व्यापारी द्वारा अर्थदण्ड नोटिस जारी होने के उपरान्त भी विलम्ब से जमा टी0डी0एस0 कटौती पर ब्याज की राशि जमा नहीं की गयी थी। अतः उक्त को दृष्टिगत रखते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 35(8) के अन्तर्गत अर्थदण्ड आदेश दिनांक 01-08-2019 से टी0डी0एस0 कटौती रू0 1,66,560/- का 200 प्रतिशत अर्थात् रू0 3,33,120/- अर्थदण्ड आरोपित किया गया।

3. उक्त अर्थदण्ड आदेश दिनांक 01-08-2019 से क्षुब्ध होकर व्यापारी द्वारा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी। प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा दिनांक 30-12-2024 को पारित निर्णय के माध्यम से व्यापारी की अपील स्वीकार की गयी है। प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णय का सुसंगत अंश निम्न प्रकार है—

“यहां पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Hindustan Steel Ltd. vs. State of Orissa 1970 (25)STC 211] के मामलों में पारित किया गया निर्णय भी उल्लेखनीय है, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से यह मत प्रतिपादित किया गया है कि—

“An order imposing penalty for failure to carry out a statutory obligation is the result of a quasi- criminal proceeding, and penalty will not ordinarily be imposed unless the party obliged either acted deliberately in defiance of law or was guilty of conduct contumacious or dishonest, or acted in conscious disregard of its obligation. Penalty will not also be imposed merely because it is lawful to do so. whether penalty should be imposed for failure to perform a statutory obligation is a matter of discretion of the authority to be exercised judicially and on a consideration of all the relevant circumstances. Even if a minimum penalty is prescribed, the authority competent to impose the penalty will be justified in refusing to impose penalty, when there is a technical or venial breach of the provisions of the Act or where the breach flows from a bonafide belief that the offender is not liable to act in the manner prescribed by the statute.”

अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित किए गये उपरोक्त निर्णय से स्पष्ट है कि अर्थदण्ड केवल इस आधार पर आरोपित नहीं करना चाहिए कि अधिनियम में ऐसा प्रावधानित किया गया है, बल्कि अर्थदण्ड आरोपित करना प्राधिकारी का विवेकाधिकार है जिसे न्यायपूर्वक एवं सभी प्रासंगिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इस्तेमाल करना चाहिए। अधिनियम के प्रावधानों के 'मामूली' उल्लंघन या 'तकनीकी' उल्लंघन के आधार पर अर्थदण्ड आरोपित करना न्यायोचित नहीं है।

प्रश्नगत संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित किये गये निम्नलिखित निर्णय— M/s Premier Vinyl Flooring Ltd., Bulandshahr vs. Commissioner, Trade Tax, U.P., Lucknow [2005 NTN (Vol. 26) 270]; Govind Sugar Mills Ltd., Lakhimpur Kheri vs. Commissioner, Trade Tax, U.P., Lucknow [(2009)9 VLJ 43]; M/s Commercial Auto Sales Pvt. Ltd., Allahabad vs. The Commissioner of Trade Tax, U.P., Lucknow [2000 NTN (Vol.17) 714] एवं M/s Khateema Fibres Limited, Noida vs. Commissioner of Trade Tax, U.P., Lucknow [T.T.R No. 832 of 2008, निर्णय दिनांक 22.04.2009] उल्लेखनीय हैं, जिनमें माननीय न्यायालय द्वारा विलम्ब से स्वीकृत कर जमा करने के सम्बन्ध में युक्ति-युक्त कारण उपलब्ध होने के आधार पर अर्थदण्ड आरोपित करने की कार्यवाही को न्यायोचित नहीं माना है।

प्रश्नगत मामलों में, उपरोक्त की गयी विवेचना, वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में, एक बोनाफाईड विलम्ब है एवं विलम्ब से स्वीकृत कर जमा करने का 'युक्ति-युक्त कारण' है।

अतः उपरोक्त की गयी विवेचना के परिप्रेक्ष्य, वाद के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों तथा विधिक प्रावधानों पर विचारोपरान्त एवं माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित किये गये उपरोक्त निर्णयों के प्रकाश में, स्वीकृत कर विलम्ब से जमा करने के सम्बन्ध में 'युक्ति-युक्त कारण' उपलब्ध है। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित किए गये अर्थदण्ड को न्यायोचित नहीं कहा जा सकता है एवं विवादित अर्थदण्ड आदेश का समर्थन नहीं किया जा सकता है। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित अर्थदण्ड आदेश दिनांक 01-08-2019 अपास्त किया जाता है।”

इस प्रकार उपरोक्त आधारों पर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा व्यापारी की अपील स्वीकार की गयी है।

4. प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय से क्षुब्ध होकर विभाग द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है, जिसमें उल्लेख किया गया है:-

1. 'यह कि विद्वान संयुक्त आयुक्त (अपील) राज्य कर, हल्द्वानी, उत्तराखण्ड द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30-12-2024 विधिक एवं न्यायोचित नहीं है।
2. दिनांक 01-08-2019 में मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा- 35(8) के अन्तर्गत पारित आदेश में विलम्ब से जमा टी0डी0एस0 कटौती रू0 1,66,560/- का 200 प्रतिशत अर्थात् रू0 3,33,120/- अर्थदण्ड की मॉग सृजित की गई।
3. कर निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 35(8) के अन्तर्गत पारित आदेश के पैरा नं0-3 में उल्लेख किया है कि व्यापारी द्वारा उत्तर में कहा गया है कि बिल भुगतान पर श्रोत कर कटौती रू0 1,66,560/- तीन दिन विलम्ब से जमा किया गया है, जबकि पत्रावली व चालान के अनुसार व्यापारी द्वारा 05 माह 03 दिन विलम्ब से उक्त राशि को जमा किया गया है। विलम्ब के सन्दर्भ में व्यापारी द्वारा अवगत कराया गया है कि टी0डी0एस0 कटौती विलम्ब से जमा हुआ है, जिसका कारण बताया गया कि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण स्वीकृत कर का चैक प्रधान कार्यालय कैलाश वाहन उद्योग लि0, पुणे में विलम्ब से कोरियर किया गया , जिसके कारण बैंक में चैक विलम्ब से जमा किया गया है। किन्तु इस सन्दर्भ में कोई पुष्टि प्रमाण व्यापारी द्वारा

प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः युक्ति युक्त कारण के अभाव में अर्थदण्ड नियमानुसार आरोपणीय है।

4. यह कि विद्वान संयुक्त आयुक्त (अपील) राज्य कर, हल्द्वानी उत्तराखण्ड द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30-12-2024 विधिक प्रावधानों के आलोक में विधिक एवं न्यायोचित नहीं है तथा निरस्त किये जाने योग्य है। अतः उपरोक्त विधिक व्यवस्थाओं के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जो कर निर्धारित किया गया है वह उचित एवं विधि अनुकूल है। अतः विद्वान संयुक्त आयुक्त (अपील) राज्य कर, हल्द्वानी, उत्तराखण्ड द्वारा पारित निर्णय को पूर्णतः निरस्त करते हुए, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 01-08-2019 को बहाल करने की कृपा करें।”

इस प्रकार उपरोक्त आधारों पर विभाग द्वारा द्वितीय अपील स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

5. सुनवाई हेतु नियत तिथि को विभाग की ओर से श्रीमती हेमलता शुक्ला, विद्वान डिप्टी कमिश्नर एवं राज्य प्रतिनिधि उपस्थित हुई तथा उनके द्वारा द्वितीय अपील आधार में उल्लिखित तथ्यों को दोहराते हुए प्रस्तुत द्वितीय अपील स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गयी है। अपीलार्थी व्यापारी की ओर से विद्वान फर्म अधिवक्ता श्री पंकज तिवारी अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को विधि सम्मत होना बताते हुए उक्त की पुष्टि किये जाने की प्रार्थना की गयी।

6. उभय पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों को सुना गया तथा उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया। वाद के संदर्भ में अवधारण का बिन्दु (Point of determination) निम्न प्रकार निर्धारित किया जाता है—

“क्या प्रश्नगत वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत इस वाद में उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा 35(8) के अन्तर्गत अर्थदण्ड आरोपणीय है अथवा नहीं” ?

7. उपरोक्तानुसार अवधारित बिन्दु के परिप्रेक्ष्य में सर्वप्रथम धारा 35 के अन्तर्गत निहित सुसंगत विधिक प्रावधान अवलोकनीय है, जो निम्न प्रकार हैं—

Section 35: Recovery of Tax by way of Tax Deduction at Source-

- “(1) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) of Section 22, every person responsible for making payment to any dealer (hereinafter in this section referred to as the contractor) for discharge of any liability on account of valuable consideration payable for the transfer of property in goods (whether as goods or in any other form) in pursuance of a works contract, not being a building contract of such class or value as may be notified by the State Government in public interest in this behalf, shall, at the time of making such payment to the contractor, either in cash or in any other manner, deduct (an amount equal to six percent) of such sum towards

part or, as the case may be, full satisfaction of the tax payable under this Act on account of such works contract;

Provided that the Assessing Authority may, if satisfied that it is expedient in the public interest so to do and for reasons to be recorded in writing, order that in any case or class of cases no such deduction shall be made or, as the case may be, such deduction shall be made at a lesser rate,”

Provided Further that where any deduction has been made by a contractor from the payment made to his sub-contractor in accordance with sub-section (3), the amount of such payment shall be deducted from the amount on which deduction is to be made under this sub-section.

(4) The amount deducted under sub-section (1) or sub-section (2) or sub-section (3) shall be deposited into the Government Treasury by the person making such deduction before the expiry of the month following that in which deduction is made.

(8) if any such person as is referred to in sub-section (1) or in sub-section (2) or in sub-section (3), fails to make the deduction or after deducting fails to deposit the amount so deducted as required in sub-section (4), the Assessing Authority may, after giving such person an opportunity of being heard, by order in writing, direct that such person shall pay, by way of penalty, a sum not exceeding twice the amount deductible under this section but not so deducted and, if deducted, not so deposited into Government Treasury.

8. वेट अधिनियम की धारा 35 के अन्तर्गत निहित विधिक प्रावधानों के अवलोकन से स्पष्ट है कि व्यापारी को संविदाकारों के माध्यम से अपनी यूनिट में कराये गये संविदा कार्यों के एवज में किये गये भुगतान पर टीडीएस कटौती की जानी थी। व्यापारी द्वारा दिनांक 31-03-2013 को संविदाकार सर्वश्री जैन इंटीरियर डेकोरेशन को किये गये भुगतान पर रु0 1,66,560/- की टीडीएस कटौती की गयी थी, जिसे व्यापारी को धारा 35(4) के अनुसार अनुवर्ती माह अर्थात् अप्रैल 2013 की अंतिम तिथि 30/04/2013 तक जमा करना था। अभिलेखीय साक्ष्यों से स्पष्ट है कि व्यापारी द्वारा टीडीएस के तौर पर की गयी उक्त कटौती को 5 माह 3 तीन विलम्ब से दिनांक 03-10-2013 को जमा किया गया है। इस प्रकार वाद के तथ्यों से स्पष्ट है कि व्यापारी द्वारा टीडीएस कटौती को धारा 35(4) में निहित प्रावधान के अनुसार जमा नहीं किया गया है। इस संबंध में विभाग द्वारा यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया है कि व्यापारी द्वारा विलम्ब से जमा की गयी उक्त राशि पर ब्याज भी अर्थदण्ड आदेश पारित किये जाने तक जमा नहीं किया गया था। वाद के तथ्यों से यह भी प्रकाशित होता है कि व्यापारी द्वारा देय ब्याज रु0 10,850/- दिनांक 29/11/2021 को 8 वर्ष से भी अधिक समय के पश्चात् जमा किया गया है।

9. वाद के उक्त तथ्यों के दृष्टिगत कर निर्धारण अधिकारी द्वारा टीडीएस के तौर पर काटी गयी राशि रु0 1,66,560/- का 200 प्रतिशत अर्थात् रु0 3,33,120/- अर्थदण्ड आरोपित किया गया है। प्रथम अपीलीय द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के स्तर से आरोपित

प्रश्नगत अर्थदण्ड को इस आधार पर आरोपणीय नहीं माना गया है, क्योंकि व्यापारी के पास टीडीएस कटौती विलम्ब से जमा करने के संबंध में युक्तियुक्त कारण उपलब्ध था। इस संबंध में व्यापारी के इस तर्क कि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण स्वीकृत कर का टैक्स प्रधान कार्यालय कैलाश वाहन उद्योग पुणे में विलम्ब से कुरियर किया गया था, जिसके कारण बैंक में चैक विलम्ब से जमा किया गया था। उक्त कारण को प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा युक्तियुक्त मानते हुए तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सर्वश्री हिन्दुस्तान स्टील लि० बनाम स्टेट ऑफ उड़ीसा (1970) (25) एसटीसी 211) के मामले में दिये गये निर्णय एवं स्वीकृत कर के संबंध में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त प्रस्तरो में उल्लिखित निर्णयों में प्रतिपादित मत का हवाला देते हुए यह मत व्यक्त किया गया है कि व्यापारी के पास टीडीएस के तौर पर की गयी कटौती को विलम्ब से जमा करने के संबंध में युक्तियुक्त कारण उपलब्ध था। अतः अर्थदण्ड केवल अधिनियम में प्रावधानित व्यवस्थानुसार ही नहीं आरोपित किया जाना चाहिए अपितु न्यायपूर्वक सभी प्रासंगिक दृष्टिगत रखते हुए अर्थदण्ड आरोपित किये जाने अथवा न किये जाने के संबंध में अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करना चाहिए। उक्तानुसार प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा प्रश्नगत मामले में अर्थदण्ड आरोपणीय न मानते हुए व्यापारी की अपील स्वीकार की गयी है।

10. वाद के तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में धारा 35(8) के अन्तर्गत निहित विधिक प्रावधान अवलोकनीय है, जिसके अन्तर्गत कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अर्थदण्ड आदेश पारित किया गया है। प्रश्नगत मामले में इस बिन्दु पर कोई विवाद नहीं है, कि व्यापारी द्वारा सर्वश्री जैन इंटीरियर डेकोरेशन से रु० 1,66,560/- की टीडीएस कटौती दिनांक 31-03-2013 की गयी थी, जिसे धारा 35(4) में निहित विधिक व्यवस्थानुसार दिनांक 30/04/2013 तक राजकोष में जमा करना था। उक्त टीडीएस राशि का व्यापारी द्वारा 5 माह 3 दिन विलम्ब से दिनांक 03-10-2013 को बिना ब्याज के जमा किया गया है। धारा 35(8) के अन्तर्गत निहित व्यवस्थानुसार कोई व्यक्ति यदि कटौती करने में असफल रहता है या कटौती करने के पश्चात् इस प्रकार काटी गयी धनराशि को उपधारा (4) की अपेक्षानुसार जमा करने में असफल रहता है, तो उस व्यक्ति पर कटौती किये जाने योग्य धनराशि के दुगुने से अनधिक धनराशि अर्थदण्ड के रूप में आरोपित की जा सकती है। इस प्रकार धारा 35(8) के अन्तर्गत टीडीएस कटौती न किये जाने, टीडीएस कटौती किये जाने के पश्चात् उक्त को जमा न करने अथवा टीडीएस कटौती किये जाने के पश्चात् उक्त को धारा 35(4) के अनुसार अनुवर्ती माह की समाप्ति से पूर्व राजकोष में जमा न करने जैसी तीन स्थितियों में अर्थदण्ड आरोपित किया जा सकता है। विचाराधीन इस मामले में व्यापारी द्वारा टीडीएस की कटौती तो की गयी है, परन्तु उक्त कटौती को आगामी माह की समाप्ति से पूर्व राजकोष में जमा न करने का अपराध व्यापारी द्वारा किया गया है।

11. वाद के संदर्भ में यह विचारणीय है कि व्यापारी के पास ऐसे कौन से युक्तियुक्त आधार हैं, जिसके कारण वह टीडीएस कटौती रु० 1,66,560/- को नियत अवधि के अंदर जमा नहीं कर पाये थे। इस संबंध में व्यापारी द्वारा प्रथम अपील स्तर पर उनकी आर्थिक

स्थिति ठीक न होना एवं उक्त के कारण टीडीएस का चैक अपने पूणे स्थित प्रधान कार्यालय में विलम्ब से कोरियर किया गया था, जिसके कारण बैंक में चैक विलम्ब से जमा किया गया था, का तर्क प्रस्तुत किया गया है। उक्त तर्क को प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्रदान की गयी है, परन्तु प्रथम अपीलीय निर्णय से यह स्पष्ट नहीं होता है कि व्यापारी द्वारा अपने उक्त तर्क के समर्थन में उनके समक्ष क्या साक्ष्य/प्रमाण प्रस्तुत किये गये हैं। उपरोक्त जिस तर्क को व्यापारी द्वारा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, के संबंध में कोई साक्ष्य द्वितीय अपील स्तर पर भी प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। उक्त खराब आर्थिक स्थिति के कारण क्या व्यापारी की खरीद-बिक्री भी प्रभावित हुई थी अथवा नहीं, जैसा भी कोई साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध नहीं पाया गया है। व्यापारी की खराब आर्थिक स्थिति बैलेंस शीट से समर्थित है, जैसी कोई विवेचना भी प्रथम अपीलीय निर्णय में नहीं की गयी है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि संविदी व्यापारी द्वारा टीडीएस को अपने पास से जमा नहीं करना था, अपितु ठेकदारों को किये गये भुगतान पर, उनके बिल से की गयी कटौती को ही राजकोष में जमा करना था। इस बिन्दु के परिप्रेक्ष्य में व्यापारी द्वारा उक्त टीडीएस कटौती रु0 1,66,560/- को नियत अवधि के अंदर राजकोष में जमा न करने का कोई औचित्य प्रकाश में नहीं आता है। टीडीएस कटौती के उपरांत अनुवर्ती माह की समाप्ति से पूर्व राजकोष में जमा करने की विधिक अनिवार्यता से व्यापारी भली-भांति सुविज्ञ हैं, अतः उक्त को दृष्टिगत रखते हुए टीडीएस जमा कराने में व्यापारी द्वारा किया गया 5 माह 3 दिन का विलम्ब अत्यधिक है, जिसके संबंध में कोई संतोषजनक/युक्तियुक्त तर्क व्यापारी द्वारा द्वितीय अपील में प्रस्तुत नहीं किया गया है, तदनुसार हमारा यह मत है कि इस प्रश्नगत मामले में धारा 35(8) आकृष्ट होती है। चूंकि काटी गयी टीडीएस राशि नियत अवधि के अंदर जमा न करा पाने के संबंध में व्यापारी द्वारा कोई युक्तियुक्त कारण प्रस्तुत नहीं किया जा सका है, अतः जिन निर्णयों का उल्लेख प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपने निर्णय में किया गया है, वह समस्त प्रश्नगत मामले में प्रासंगिकता नहीं रखते हैं। इस प्रकार प्रश्नगत मामले में अर्थदण्ड आरोपणीय है, परन्तु अर्थदण्ड का क्वांटम क्या होना चाहिए, के परिप्रेक्ष्य में इन तथ्यों को दृष्टिगत रखना होगा, कि व्यापारी द्वारा धारा 35(8) के अन्तर्गत नोटिस जारी करने से पूर्व ही स्वतः टीडीएस राशि रु0 1,66,560/-को राजकोष में जमा कर दिया गया था। उक्त के अतिरिक्त टीडीएस राशि पर देय ब्याज रु0 10,850/- को भी व्यापारी द्वारा जमा कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि धारा 35(8) के अन्तर्गत जिन तीन दशाओं में अर्थदण्ड आरोपित किया जा सकता है, में से प्रश्नगत मामले की प्रकृति अन्य दोनों दशाओं की अपेक्षा कम गंभीर है, क्योंकि इस मामले में व्यापारी द्वारा टीडीएस की कटौती की गयी है एवं उक्त को कोई भी कार्यवाही होने से पूर्व स्वतः ही राजकोष में जमा भी कर दिया गया था। इन समस्त तथ्यों को देखते हुए हमारे विचार से आरोपित अर्थदण्ड की राशि, जो कि काटी गयी टीडीएस राशि का 200 प्रतिशत है, अत्यधिक है। अतः उपरोक्तानुसार वर्णित समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए हमारा सुविचारित मत है कि प्रश्नगत मामले में काटी गयी टीडीएस राशि रु0 1,66,560/-के 50 प्रतिशत के बराबर अर्थात् कुल रु0 83,280/- अर्थदण्ड निर्धारित किया जाना उचित होगा।

12. उपरोक्त प्रस्तारों में की गयी विवेचना के परिप्रेक्ष्य में विभाग द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील में बल पाया गया है। प्रस्तुत द्वितीय अपील स्वीकार किये जाने योग्य है, परन्तु वाद के तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नगत मामले में अधिकतम अर्थदण्ड निर्धारित नहीं किया जा सकता है, तदनुसार द्वितीय अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

—: आदेश ::—

विभाग द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील 25/2025 (वर्ष 2012-13, धारा 35(8)) आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए, प्रथम अपीलीय निर्णय दिनांक 30-12-2024 को अपास्त किया जाता है। कर निर्धारण अधिकारी के स्तर से धारा 35(8) के अन्तर्गत निर्धारित अर्थदण्ड रु0 3,33,120/- के स्थान पर रु0 83,280/- अर्थदण्ड निर्धारित किया जाता है। यदि व्यापारी द्वारा उक्तानुसार निर्धारित अर्थदण्ड राशि से अधिक राशि अर्थदण्ड के तौर पर जमा की गयी है, तो वह व्यापारी को नियमानुसार वापस की जाएगी। पत्रवाली दाखिल दफ्तर हो।

ह0/दि0-08/09/2025

(विपिन चन्द्र)

सदस्य,

वाणिज्य कर अपील अधिकरण,

उत्तराखण्ड, हल्द्वानी पीठ।

कैम्प-देहरादून।

ह0/दि0-08/09/2025

(मलिक मजहर सुलतान)

अध्यक्ष,

वाणिज्य कर अपील अधिकरण,

उत्तराखण्ड, देहरादून।

दिनांक:- 8 सितम्बर, 2025



This document was created with the Win2PDF "Print to PDF" printer available at

<https://www.win2pdf.com>

This version of Win2PDF 10 is for evaluation and non-commercial use only.

Visit <https://www.win2pdf.com/trial/> for a 30 day trial license.

This page will not be added after purchasing Win2PDF.

<https://www.win2pdf.com/purchase/>